जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में दिनांक–10.03.2021 को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1. श्री राज कमल यादव, जिलाधिकारी, बागपत।
2. श्री अभिराम त्रिवेदी, मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
3. श्री हुबलाल, जिला विकास अधिकारी, बागपत।
4. इं0 रवीन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बागपत।
5. श्री राघवेन्द्र सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
6. इं0 विपिन कुमार, प्रभारी सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, बागपत।
7. श्रीमति स्मृति अवस्थी, खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना।
8. श्रीमति सोनिका चौधरी खण्ड विकास अधिकारी, खेकडा।
9. श्री राहुल भाटी, जिला सूचना अधिकारी, बागपत।
10. श्री दिनेश कुमार अरूण, जिला उद्यान अधिकारी, बागपत।
11. इं0 आर0पी0सिंह, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0जल निगम, बागपत।
12. प्रतिनिधि मै0 एल0सी0 इन्फ्रा0 अहमदाबाद।
13. श्री शुक्ला, प्रतिनिधि आर0एम0ई0 (इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी),
14. श्री कृष्णपाल सिंह, पर्यावरण कार्यकर्ता।

सम्पन्न बैठक में विचार विमर्श उपरान्त जिलधिकारी, बागपत द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गयेः–

1. बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम व सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–794/छिहत्तर–1 –2021–09सम/2005 टी0सी0–5, दिनांक–04.03.2021 के अनुसार **"शासन द्वारा सम्यक विचारोरान्त जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं हेतु लघु सिंचाई विभाग को नोडल नामित किये जाने का शासनादेश संख्या–2100/ छिहत्तर–1–2020–9सम /2005 टी0सी0–5, नमांमि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, दिनांक–04.11.2020 को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त एतद् द्वारा निरस्त किया जाता हैं।"**

अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–830/छिहत्तर–1 –2021–09–सम/2002 टी0सी0–5, लखनऊ, दिनांक–09. मार्च, 2021 के अनुसार **"शासन द्वारा योजनाओं के कियान्वयन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है**

क्रमशः ---

कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे बेस लाइन सर्वे के डाटा वेरीफिकेशन का कार्य यथाव्यवस्था लघु सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जायेगा।"

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक–2725 / डब्लू–314 / जेजेएम–आईएसए / 2020–21, दिनांक–05.03.2021 के अनुसार "इसी प्रकार शासनादेश संख्या–95 / छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल / 2010 टी0सी0–अ, दिनांक–21.01.2020 द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के सदस्य सचिव के रूप में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम को नामित किया गया है।"

जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त आदेशो से भिज्ञ होने से अवगत कराते हुए उक्त शासनादेशो के अनुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. अधिशासी अधिशासी जल निगम, बागपत द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदान्तर्गत स्वीकृत हुई 51 रैट्रोफिटिंग योजनाओं के कार्य प्रंगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त परियोजनाओं के कार्यो को समयान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये।

3. जनपद अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशो के आच्छादन में निर्माणाधीन 30 नई पाईप पेयजल योजनाओं को भी दिनांक–31.03.2021 तक पूर्ण कर ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बागपत द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त निर्माणाधीन योजनाओं में सम्मिलित ग्राम रठौडा (विकास खण्ड–छपरौली) की पेयजल योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में निर्माणाधीन है तथा इस पर धनावंटन न होने के कारण निर्माण कार्य बाधित है तथा इसे दिनांक–31.03.2021 तक पूर्ण नही किया जा सकेगा। उन्होने अवगत कराया कि 23 पाईप पेयजल योजनायें पूर्ण हो चुकी है तथा शेष 06 पाईप पेयजल योजनाओं को दिनांक–31.03.2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति से इन योजनाओं की जांच / सत्यापन कराने के निर्देश दिये गये।

4. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 एल0सी0 इन्फ्रा0अहमदाबाद को जनपद बागपत में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सूचीबद्व किया गया है। इनके द्वारा जनपद की 27 पुर्नगठन पेयजल योजनाओं, गुणता प्रभावित ग्रामों की परियोजनाओं एवं जनपद के शेष ग्रामो में पेयजल परियोजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करा, डी0पी0आर0 तैयार कराने के उपरान्त रू0 1.00 करोड तक की धनराशि की परियोजनाओं का जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात तथा 1.00 करोड रूपयें से अधिक लागत की परियोजनाओं का राज्य पेयजल

क्रमशः---

समिति से अनुमोदन उपरान्त निर्माण कराना तथा समस्त परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त 10 वर्षो तक अनुरक्षण करने का प्राविधान हैं।

जिलाधिकारी महोदय, बागपत द्वारा मै0 एल0सी0 इन्फ्रा0 के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित 27 परियोजनाओं पर भूमि उपलब्ध है तथा पुनर्गठन की परियोजनाओं की तत्काल डी0पी0आर0 प्रस्तुत की जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि सर्वे किये गये ग्रामों एवं भूमि उपलब्धता वाले ग्रामों की डी0पी0आर0 तत्काल प्रस्तुत कर दी जाये, ताकि समय की बचत हो सकें। भूमि उपलब्धता हेतु समस्याग्रस्त ग्रामों में सम्बंधित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा साप्ताहिक प्रगति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रत्येक सोमवार को आहुत बैठक में दी जायें।

मै0 एल0सी0इन्फ्रा0, अहमदाबाद को यह भी निर्देश दिये गये कि सर्वेक्षण के समय जलकल परिसर हेतु दो–तीन स्थानों का विकल्प अवश्य रखा जाये ताकि उपयुक्त भूमि का अन्तिम चयन हो सके तथा डी0पी0आर0 कार्य किसी भी दशा में बाधित न हो। कार्य में प्रगति लाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रथमतः सम्बंधित ग्रामों में जलकल परिसर हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सर्वेक्षण किया जाये। यदि किसी ग्राम में जलकल परिसर हेतु वांछित स्थल की उपलब्धता में कोई समस्या है या उसके उपलब्ध होने में समय लगने की आशंका है तो उस ग्राम के सर्वेक्षण पर समय बरबाद न कर दूसरे ग्राम में उक्तानुसार कार्यवाही बिना समय गंवाये प्रारम्भ कर दी जाये।

5. भारत सरकार द्वारा हर घर नल से जल के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्व पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपद में 2 इम्प्लीमेन्टशन सर्पोट एजेन्सी का चयन किया गया है। दोनों इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सीज को एक–एक कलस्टर तत्काल आवंटित करने के निर्देश दिये गये। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं स्थलीय परिणाम के आधार पर इन्हे अन्य कलस्टरों का आवंटन बाद में जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जायेगा।

क्रमशः....

6. श्री कृष्णपाल सिंह, पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा जल संरक्षण हेतु सारगर्भित नोट तैयार कर जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत किया गया। जिसके कम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत को निर्देश दिये गये कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विधालयों में प्रातः काल प्रार्थना के समय उक्त विषय पर छात्र/छात्राओं को अवगत कराया जायें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

मुख्य विकास अधिकारी,
बागपत।

कार्यालय : मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।

पत्रांक– 824 /जल जीवन मिशन/कार्यवृत्त/2020–21 / 73 दिनांकः– 15-3-2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

1–जिलाधिकारी महोदय, बागपत।
2–जिला विकास अधिकारी, बागपत।
3–अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बागपत।
4–अधिशासी अभियन्तां, लघु सिंचाई खण्ड, मेरठ।
5–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
6–जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
7–जिला उद्यान अधिकारी, बागपत।
8–जिला सूचना अधिकारी, बागपत।
9–समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–बागपत।
10–सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, बागपत।
11– मै0 एल0सी0 इन्फ्रा0 अहमदाबाद।
12–आर0एम0ई0 सोसायटी (इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)
13–ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा (इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)
14–श्री कृष्णपाल सिंह, जल प्रबन्धन कार्यकर्ता।
15–श्री देवेन्द्र धामा, सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यकर्ता।
16–श्री विरेन्द्र सिंह, सामुदायिक विकास कार्यकर्ता।

15.3.21

मुख्य विकास अधिकारी,
बागपत।